भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-987
सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

शिक्षित आबादी में बेरोजगारी दर

987. श्री रितेश पाण्डेयः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शिक्षित आबादी में राज्य-वार बेरोजगारी दर कितनी है (यहां उन लोगों को शिक्षित के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्होंने माध्यमिक योग्यता प्राप्त की है);
(ख) शिक्षित आबादी के मध्य बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने शिक्षित आबादी में अल्प-रोजगार दर के राज्य-वार आंकड़े एकत्र किए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शिक्षित आबादी के बीच अल्परोजगार को दूर करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017 से आयोजित किया जाता है। यह रिपोर्ट सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट www.mospi.nic.in पर उपलब्ध है। पीएलएफएस 2019-20 के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार एवं योग्यता-वार ब्यौरा उपलब्ध सीमा तक अनुबंध पर दिया गया है।

भारत सरकार ने देश में शिक्षित जनसंख्या सहित रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनेकों पहले की हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, उन नए कर्मचारियों, जिनका मासिक वेतन 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, के लिए कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ता के 12% अंशदान और कर्मचारी के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों, जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान कराने में सहायता मिली है।

नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) को आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से 15000/- रुपए तक कमाने वाले नए कर्मचारियों हेतु 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक लगातार लाभ प्राप्त होगा।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए, सरकार देश में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 26.07.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 987 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 (पीएलएफएस) के दौरान उपलब्ध सीमा तक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(% में)

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सामान्य शिक्षा स्तर					
	उच्चतर माध्यमिक	डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	स्नातक	स्नात्तकोत्तर एवं उससे अधिक	माध्यमिक एवं उससे अधिक	सभी
आंध्र प्रदेश	7.3	16.7	24.5	28.7	13.6	4.7
अरुणाचल प्रदेश	10.5	0.0	23.9	36.5	15.7	6.7
असम	14.9	4.0	20.1	6.6	13.5	7.9
बिहार	6.6	84.9	19.9	12.3	10.0	5.1
छत्तीसगढ	6.6	34.1	17.8	12.7	8.5	3.3
दिल्ली	10.1	14.6	13.5	16.1	11.5	8.6
गोवा	11.6	14.8	15.0	15.3	11.6	8.1
गुजरात	3.5	5.2	5.3	8.8	3.9	2.0
हरियाणा	10.6	13.1	13.4	8.9	9.7	6.4
हिमाचल प्रदेश	4.5	10.8	17.9	10.8	6.5	3.7
झारखंड	9.1	24.7	14.0	14.3	9.6	4.2
कर्नाटक	3.5	9.9	19.8	10.4	9.1	4.2
केरल	17.5	13.8	28.2	24.2	16.7	10.0
मध्य प्रदेश	4.6	17.1	14.7	6.3	7.1	3.0
महाराष्ट्र	6.3	10.9	8.6	2.5	5.6	3.2
मणिपुर	12.9	9.4	18.2	21.3	14.2	9.5
मेघालय	10.0	5.9	16.6	19.7	10.9	2.7
मिजोरम	12.7	0.0	14.3	22.3	11.6	5.7
नागालैंड	34.3	34.5	46.3	56.0	36.6	25.7
उड़ीसा	16.9	28.4	25.3	10.5	16.9	6.2
पंजाब	15.8	16.4	14.5	14.1	11.7	7.3
राजस्थान	5.4	14.1	22.8	16.9	11.7	4.5
सिक्किम	5.3	13.9	11.1	2.1	5.9	2.2
तमिलनाडु	6.2	16.4	20.6	13.5	11.7	5.3
तेलंगाना	9.7	12.8	26.9	24.6	14.0	7.0
त्रिपुरा	6.6	16.3	13.8	5.6	8.3	3.2
उत्तराखंड	13.8	22.0	21.9	8.3	12.6	7.1
उत्तर प्रदेश	6.3	21.2	15.6	10.6	8.7	4.4
पश्चिम बंगाल	9.1	13.9	15.2	11.5	10.1	4.6
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	29.4	19.7	29.8	18.9	23.2	12.6
चंडीगढ़	10.5	0.0	3.0	8.2	6.9	6.3
दादरा और नगर हवेली	4.1	3.2	8.6	17.3	6.7	3.0
दमन और दीव	7.8	5.6	3.4	0.0	4.5	2.9
जम्मू और कश्मीर	14.6	49.6	21.9	21.2	14.6	6.7
लद्दाख	1.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1
लक्षद्वीप	27.8	29.3	35.2	0.0	20.3	13.7
पुडुचेरी	9.1	10.1	19.8	8.4	10.5	7.6
अखिल भारतीय	7.9	14.2	17.2	12.9	10.1	4.8

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2019-20, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।